21-8-17

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण व्यक्तिगत उपस्थित। तलब अप्रार्थीगण व्यक्तिगत सुने गये। विपक्षी सं. 1 से 04 के द्वारा प्रार्थीगण का पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। विपक्षी सं. 5 बावजूद तामील अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्या. में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

तेजाराम

रामलाल

गोपाल

नाराणी

हमको कोई आपत्ति नहीं

पीठासीन अधिकारी

प्रकरण संख्या – 311/2017

1. श्री मुकेश पिता नाथू लाल, निवासी–जोरावरपुरा, तहसील माण्डल व जिला भीलवाडा। –प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल पिता भेरू लाल बलाई, निवासी–पांसल, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्रीमती राधा पत्नि गोमा बलाई, निवासी–पांसल, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3. श्री तेजू पिता दला बलाई, निवासी–पांसल, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
4. श्री ताराचंद पिता दल्ला बलाई, निवासी–पांसल, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
5. श्री देबीलाल पिता दल्ला बलाई, निवासी–पांसल, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128

राज. भू.–राज.अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक 21.08.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांसल, पटवार हल्का पांसल, तहसील भीलवाड़ा में आराजी नं. 348/1 रकबा 01–01 बीघा प्रार्थी के खातेदारी दर्ज है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पड़ौसी होकर दोनों के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से विवाद होते रहते है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। विपक्षी सं. 01 लगायत 04 उपसिथत। विपक्षी सं. 01 लगायत 04 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। विपक्षी सं. 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। ग्राम पांसल, पटवार हल्का पांसल में आराजी नं. 348/1 रकबा 01–01 बीघा प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी स्वयं के खाते दर्ज कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। पत्थरगढ़ी कराये जाने से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पांसल, पटवार हल्का पांसल में आराजी नं. 348/1 रकबा 01–01 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात् 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवें। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाड़ा में 200/–रू. अक्षरे दौ सौ रूपये बतौर खर्चा राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिशनर फीस 500/–रू. अक्षरे पॉच सौ रूपये गिरदार हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाड़ा विधिवत् पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(चिन्मयी गोपाल)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा